

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर, (पलामू)।

अभिलेख वाद सं० 92/2016/7-
वाद का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत
जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
15.4.24	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के झापांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सह-पटित- श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पटित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15.07.2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म.....) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा <u>कसडी</u> थाना नं०..... खाता सं० <u>23</u> प्लॉट सं०..... रकबा..... एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म..... अनाबाद बिहार / झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द सं०..... के पृष्ठ सं०..... पर जमाबंदी रैयत <u>बिक्रम कुमार शि०</u> के नाम से कायम है। <u>बिक्रम कुमार शि०</u> हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रविवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रविवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर / सादाहुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों / निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख, दिनांक <u>15.4.24</u> को उपस्थापित करें।	अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।

अभिलेख उपस्थापित ।

नोटिस का तामिला प्राप्त । मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए । इनके द्वारा अपने पक्ष में

राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख, दिनांक 35.6.24 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अभिलेख उपस्थापित ।

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त । संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा मौजा नं० खाता सं० प्लॉट सं० रकबा किस्म खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है । मांगधारी रैयत को उक्त भूमि

तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अबैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है । लगान रसीद वर्ष तक निर्गत है ।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार(झारखण्ड)भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी सं० को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल रूप में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजे ।

लेखापित एवं संशोधित ।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

१२/२०१८

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने का चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पल्लार, दततपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म
बैजनाथ भुइयाँ	चरहीदा	-	23	-	-	-	-
पिता पिलु भुइयाँ							

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :-

कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :-

कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/प्रदाधिकारी का नाम (प्रदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

6. नामान्तरण/प्राखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिबधित सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक) :-

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वाञ्छित रिटर्न से

(ख) अंचल / अनुमंडल में साधारण बंदोबस्ती पंजी से

(ग) वाञ्छित-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

कौन विवर
अपलब्ध नहीं
है।

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व से कायम है :-

(ख) क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत
जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है?

11. क्या दिनांक-01.01.1948 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद
तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :-

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध
जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

महोदय, प्रतिवेदन भूमि का माँगा न तो ऑफलफुल पंजी में भौत
न ही ऑनलाइन पंजी में उपलब्ध है।
आतः 34 वा 31 निम्नलिखित क्रिया जा सकती है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

चल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
छत्तरपुर।

अनुमंडल पदा.,
छत्तरपुर।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

उपायुक्त
पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- बैननाथ भुर्मा, पिता - पिलु भुर्मा
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या पृष्ठ सं. पर कायम

मौजा	धाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
<u>बैननाथ</u>		<u>23</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
<u>बैननाथ</u>				

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- कोई विवरण उपलब्ध नहीं है
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- —
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- नहीं
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

कोई विवरण उपलब्ध नहीं है

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :- —
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी (भूतपूर्व जमीनदास दाखिल रिटर्न / बंदाबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) :- कोई विवरण उपलब्ध नहीं है

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

सो 508
कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

वाद अमिलेख सं० १२ / २०१६-१७ (अन्तर्गत धारा ४(h), BLR Act, 1950)

सूचना
बनाम कैजनाथ भुजिया पिता- पिलु भुजिया
ग्राम- बरडीहा, थाना- हवरवा
जिला- पलामू

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा बरडीहा थाना नं०.....
खाता सं० २३ खेसरा नं०..... रकबा..... से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० V के पंजी-II भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक ३०-०५-२०२५ को समय ११:३० बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-१, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में सुनिश्चित निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा
कर दी जायेगी।



सोहरी सिंह

२२.५.२५
अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।